पीठासीन अधिकारी

का/08/2017

06/07/2017

पत्रावली राजस्व लोक अदालत कैम्प कोटड़िया पर प्रस्तुत हुई। वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 उपस्थित। दोनों पक्षों को सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज यथा पत्थरगढ़ी पर्चा मौका, फोटोग्राफ, सीमा जानकारी पर्चा मौका, फोटोग्राफ इत्यादि प्रस्तुत नहीं किये गये हैं जिससे यह माना जा सकता हो कि प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर नाजायज कब्जा किया गया हो वादी द्वारा मजमे आम में भी ऐसा कोई सुस्पष्ट जवाब नहीं दिया गया कि प्रतिवादीगण ने वादी की भूमि पर अतिक्रमण किया हो। वादकारण साबित नहीं होने से सबूत के अभाव में वाद वादि खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

6.7.17

Signature Not Verified

Digitally signed by Anju Sharma
Date: 2021.12.31 16:26:08 IST
Reason: SelfAttested